

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) सीकर

क्रमांक / सहायता / 2022 / 2680

दिनांक:- 5/7/22

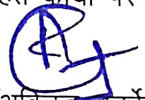
स्वीकृति-आदेश

प्राकृतिक आपदा (अग्निकाण्ड/आकाशीय विजली) से हुये नुकसान से पीडित परिवार को सहायता दिलाने हेतु तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर एसडीआरएफ/सीआरएफ नोर्मस के अनुसार पीडित परिवार को निम्नानुसार आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम पता	अग्निकाण्ड / आ0बि0 दिनांक	प्राप्त आवेदन दिनांक	कपडा	वर्तन	मकान	पशु आदि	खडी फसल	स्वीकृत राशि
तहसील-दातारामगढ									
1	श्रवण कुमार/बुद्धाराम जाट नि0 केशव का बास डांसरोली	2.9.21 आ0बि0	3.11.21	0	0	95100	0	0	95100
तहसील-श्रीमाधोपुर									
3	रुडमल/मोतीराम जाट नि0 मुण्डरू	5.8.21 भूकम्प	30.9.21	0	0	95100	0	0	95100
	योग-								190200

(राशि रू0 एक लाख नबे हजार दो सौ मात्र)

यह राशि लेखा मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01-सूखा, 800-अन्य व्यय, 03-राहत कार्यों पर व्यय(02)-अग्नि सहायता-12-सहायतार्थ अनुदान से आहरित की जायेगी।


(अविचल यतुर्वेदी)
जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक / सहायता / 2022 /

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.शासन सचिव,आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर
- 2.कोषाधिकारी,सीकर
- 3.आहरण एवं वितरण अधिकारी कलेक्ट्रेट,सीकर
- 4.उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार दातारामगढ/श्रीमाधोपुर
- 5.जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,सीकर
- 6.रक्षित पत्रावली


(धारा सिंह मीना)
अति0जिला कलक्टर, सीकर